1620

पत्र संख्या– 407154 / 01 (सामान्य)/E-104879/2026

प्रेषक,

रंजन क्वीरा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 22 जून, 2026

विषयः– पूर्व निर्गत शासनादेशो में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया लोक निर्माण अनुभाग–02 के निम्न तालिका के कालम संख्या–02 में अंकित पूर्व शासनादेशो में निम्न तालिकानुसार संशोधन किया जाता है :–

क्र. स	पूर्व निर्गत शासनादेश का विवरण	पूर्व में अंकित अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्षक	संशोधित अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्षक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	403202/40(एम.एल.ए.)2022/ई–99376./2026 दिनॉक 09 जून 2026	अनुदान सं.–30 लेखाशीर्षक– 5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04 जिला तथा अन्य सड़कें 337 सड़क निर्माण कार्य 03 राज्य सेक्टर 02 नया निर्माण कार्य 53 वृहद निर्माण	अनुदान सं.–30 लेखाशीर्षक– 5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04 जिला तथा अन्य सड़कें 337 सड़क निर्माण कार्य 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 02 नया निर्माण कार्य 53 वृहद निर्माण
2.	404304/40(एम.एल.ए.)2022/ई. 100130./2026 दिनॉक 11 जून 2026	अनुदान सं.–22 लेखाशीर्षक– 5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04 जिला तथा अन्य सड़कें 337 सड़क निर्माण कार्य 03 राज्य सेक्टर 01 चालू निर्माण कार्य 53 वृहद निर्माण	अनुदान सं.–30 लेखाशीर्षक– 5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04 जिला तथा अन्य सड़कें 337 सड़क निर्माण कार्य 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 01 चालू कार्य 53 वृहद निर्माण
3.	406496/40(एम.एल.ए.)2022/ई. 98020 98020/2026 दिनॉक 19 जून 2026	अनुदान संख्या–30	अनुदान संख्या–22
4.	406499/40(एम.एल.ए.) 2022/ई. 103098./2026 दिनॉक 19 जून 2026	अनुदान संख्या–30	अनुदान संख्या–22

3. उक्त शासनादशो को मात्र इसी सीमा तक संशोधित समझा जाय जबकि पूर्व निर्गत शासनादेशो में अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

भवदीय,

(रंजन क्वीरा)
अनु सचिव।

Digitally signed by Ranjan Kweera
Date: 22-06-2026 14:45:14

Scanned with OKEN Scanner

पत्र संख्याः 404304/40(एम.एल.ए.)2022/ E–100130/2026

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 11 जून, 2026

विषयः एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा लैन्सडौन के अन्तर्गत रिखणीखाल विकासखण्ड में पाणीसैण– डबराड– बूथानगर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (पुनरीक्षित आगणन) (पहाड़ कटान द्वितीय चरण फेज–I) (प्रोजेक्ट आई0डी0 3750)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2023–2024 में विषयगत मोटर मार्ग की प्रथम चरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 743/लो0नि0–1/2008–20 (प्रा0आ0)/2022 दिनांक 31.03.2023 द्वारा 15.00 कि0मी0 लम्बाई हेतु लागत रू0 64.50 लाख की प्रदान की गयी है।

2– प्रश्नगत कार्य हेतु 15.00 कि0मी0 लम्बाई में प्रथम चरण के सभी कार्य पूर्ण है तथा मार्ग के संरेखण में वन भूमि पड़ती है जिसकी विधिवत स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 77/(1)ग–4–19/1 (221)/2018 दिनांक 23.01.2019 द्वारा प्राप्त है। प्रथम चरण की स्वीकृति के सापेक्ष कि0मी0 1 से 3 तक मोटर मार्ग का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् कि0मी0 4 से 15 तक मोटर मार्ग के द्वितीय चरण स्टेज–1 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 121/लो0वि0–07 (प्रा0आ0)/2002 दिनांक 12.02.2004 के द्वारा रू0 115.20 लाख की प्रदान की गयी थी। उक्त स्वीकृति के सापेक्ष कि0मी0 4 (चौ0 3.00)से 6 (चौ0 5.500) तक कुल 2.50 कि0मी0 में कार्य पूर्ण है। कि0मी0 9 से आगे की बसावटें, कोटडीस्वैण – खालदरखास्ती – डबराड – बूथानगर मोटर मार्ग से जुड़ गये है। अतः विषयक मार्ग का निर्माण कि0मी0 9 तक ही किया जाना है। अतः विषयक पुनरीक्षित आगणन कि0मी0 6 चौनेज 5.500 से कि0मी0 9 चौनेज 9.00 कुल 3.50 कि0मी0 लम्बाई के पहाड़ कटान हेतु गठित किया गया है। परीक्षणोपरान्त पुनरीक्षित आगणन रू0 245.12 लाख (पूर्व स्वीकृत लागत रू0 115.20 + अतिरिक्त लागत रू0 129.92 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की पुनरीक्षित स्वीकृति माननीय श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैंः–

i.	उक्त पुनरीक्षित स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि शासनादेश संख्या– I/2024, दिनांक 18 जुलाई, 2023 द्वारा मूल स्वीकृत लागत ₹10.50 लाख तथा प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹15.80 लाख अर्थात कुल लागत ₹26.

File No. PWD2-MS/MISC/4/2026-III-2-Public Works Department (Computer No. 100130)
Generated from eOffice by GOVIND SINGH, Review Officer-PWD Section-02-GS, REVIEW OFFICER, Public Works Department on 11/06/2026 06:26 pm

Scanned with OKEN Scanner

	30 लाख में उक्त कार्य को पूर्ण करा लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अब उक्त कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि किसी भी दशा में स्वीकृत नहीं की जायेगी। शासनादेश I/ /2024, दिनांक 18 जुलाई, 2023 को केवल उक्त अनुमन्य सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।
ii.	विषयगत कार्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासन एवं विभागीय स्तर पर समय–समय पर आहूत बैठक में लिये गये निर्णयों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
iii.	पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
iv.	कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी ।
v.	कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें ।
vi.	ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में कमइपजंइसम आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
vii.	निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
viii.	स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायेगी।
ix.	पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन/मात्राओं एवं कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
x.	कार्य कराने से पूर्व आगणन में मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित स्थलों के OGL/X-Section रिकार्ड कर लिये जाये तथा मक डिस्पोजल का भुगतान इन स्थलों के Final Level के आधार पर वास्तविक डिस्पोजल की मात्रा, आंकलित कर की जाए तथा अधिशासी अभियन्ता द्वारा X-Section की चौकिंग सुनिश्चित कर ली जाय।
xi.	कार्यस्थल में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व , समय समय पर कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त जी0पी0एस0 फोटोग्राफ तथा वीडियो कार्यदायी संस्था द्वारा संरक्षित रखी जाये

2. उक्त योजना पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2026–27 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0 22 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337 सडक निर्माण कार्य–03 राज्य सेक्टर–01 चालू निर्माण कार्य–53 वृहद निर्माण कार्य (5054–04–800–03–01 से स्थानान्तरित) की मद से निवर्तन पर रखी गई धनराशि से, आवश्यकतानुसार, अपने स्तर से किया जायेगा।

3. ये आदेश वित्त अनुभाग–2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक– I/ 403214 /2026 दिनांक 09.06.2026 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

File No. PWD2-MS/MISC/4/2026-III-2-Public Works Department (Computer No. 100130)
Generated from [illegible] REVIEW OFFICER, Public Works Department on 11/06/2026 06:26 pm

Scanned with OKEN Scanner

Digitally signed by
Mahaveer Singh Chauhan
Date: 11-06-2026
17:38:22

(महावीर सिंह चौहान)
अपर सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, द्वादश वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
9. अधिशासी अभियन्ता, नि.ख., लोक निर्माण विभाग, लैन्डाउन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
अपर सचिव

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, "नियोजन-।" उत्तराखण्ड़ देहरादून

(OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, PWD, DEHRADUN UTTRAKHAND)

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: p1hodpwduk@gmail.com

पत्रांक– 780 /20याता०(वित्तीय स्वीकृति)नियो०–1/2026, दिनांक–29/जून/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 12 वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
3. अधिशासी अभियन्ता, PD खण्ड़, लोक निर्माण विभाग, लैन्सडौन।
4. आई०टी० सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. सहायक लेखाधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अपर सहायक अभियन्ता, प्राविधिक वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

29/06/26

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
कार्या० प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

File No. PWD2-MS/MISC/4/2026-III-2-Public Works Department (Computer No. 100130)
Generated from eOffice by GOVIND SINGH, Review Officer-PWD Section-02-GS, REVIEW OFFICER, Public Works Department on 11/06/2026 06:26 pm

Scanned with OKEN Scanner